बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सू0 संख्या–भवन/10/आरोप(पटना)–09/2013.........1876(भ)/ पटना, दिनांक– 3.3.17

:: अधिसूचना ::

श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी, तदेन सहायक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना सम्प्रति उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, दरभंगा के द्वारा पटना भवन प्रमंडल, पटना के पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता के लिए आरोप प्रपत्र–''क'' में निम्नलिखित आरोप गठित किया गया :–

(क) इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान परिसर में बगैर निविदा/एकरारनामा के कार्य कराने एवं विभाग के लिए आवंटित दायित्व का सृजन करने जिसके कारण विभाग को अवमाननावाद का सामना करना पड़ा (ख) पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में निर्माण कार्य के प्रति अनभिज्ञता जाहिर करना, जबकि सहायक अभियंता के रूप में सरकारी भवन में बगैर आदेश के निजी व्यक्ति द्वारा कार्य नही किया जा सकता है तथा (ग) उपर्युक्त कार्यो के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करने, जबकि इसका औपचारिक उदघाटन भी करा दिया गया और कार्य का साक्ष्य भी मौजूद है।

2. उपर्युक्त आरोपों के आलोक में श्री चौधरी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प –सह–पठित ज्ञापांक–11685(भ0) दिनांक–23.08.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। जिसके अन्तर्गत श्री नवीन कुमार, अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल सम्प्रति प्रभारी मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्री गौतम कुमार, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग को विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी, श्री नवीन कुमार के पत्रांक–124 दिनांक–25.03.2015 द्वारा विभाग को समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध लगाये गये तीन आरोपों में से आरोप संख्या–(क) एवं (ग) को अप्रमाणित एवं आरोप संख्या–(ख) को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के क्रम में उक्त जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक–6451(भ0) दिनांक–22.06.2015 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री चौधरी के पत्रांक–शून्य दिनांक–03.07.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

4. श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की विभागीय स्तर पर की गई समीक्षा के उपरान्त उन पर गठित आरोपों को प्रमाणित मानते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के अन्तर्गत (आरोप–वर्ष 2008–2009) के लिए निन्दन एवं संचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

5. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (07) के तहत श्री चौधरी के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित वृहत दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–8413(भ0) दिनांक–30.08.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की माँग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2159 दिनांक–20.10.2016 द्वारा वांछित दण्ड प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गई।

6. अतएव उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना सम्प्रति उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, दरभंगा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नांकित दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

क्रमशः

i. निन्दन, (आरोप–वर्ष 2008–2009)

ii. संचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

02/3/17

सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/10/आरोप(पटना)–09/2013 1877(भ)/ पटना, दिनांक– 3.3.17

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड/अपर सचिव, प्रभारी राजपत्रित स्थापना, भवन निर्माण विभाग, बिहार/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग एवं अभियंता प्रमुख/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/3/17

सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/10/आरोप(पटना)–09/2013 1877(भ)/ पटना, दिनांक– 3.3.17

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/3/17

सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/10/आरोप(पटना)–09/2013 1877(भ)/ पटना, दिनांक– 3.3.17

प्रतिलिपिः–श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी, तदेन सहायक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना सम्प्रति उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/3/17

सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/10/आरोप(पटना)–09/2013 1877(भ)/ पटना, दिनांक– 3.3.17

प्रतिलिपिः–उप सचिव, ई0 गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

02/3/17

सरकार के अपर सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।